भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001 (फैक्स: 23389985)

संदर्भ सं. एल-12022/3/2015-जीपी-।। दिनांक: 20 मई, 2015

सेवा में

प्रबंधक,
भारत सरकार,
भारत सरकार मुद्रणालय,
रिंग रोड, माया पुरी,
नई दिल्ली - 110064

विषय: उर्वरक (यूरिया) क्षेत्र में गैस की पूलिंग संबंधी दिशा-निर्देशों के संबंध में भारत के असाधारण राजपत्र के भाग 2, खंड 3, उप-खंड(ii) में अधिसूचना का प्रकाशन ।

महोदय

कृपया उपर्युक्त विषय पर भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशन के लिए एक अधिसूचना संलग्न है। इस अधिसूचना को यथाशीघ्र प्रकाशित किया जाए और इसकी 200 प्रतियां इस मंत्रालय को उपलब्ध कराई जाएं। अधिसूचना की सॉफ्ट कॉपी भी इसके साथ अग्रेषित की जाती है।

भवदीय,

संलग्नक: यथोपरि
हस्ता./-

(यू.पी. सिंह)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार
दूरभाष सं. 23381832

[भारत के असाधारण राजपत्र के भाग-।।, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 मई, 2015

उर्वरक (यूरिया) क्षेत्र में गैस की पूलिंग के लिए दिशानिर्देश

फा.सं. एल-12022/3/2015-जीपी-।। - आर्थिक कार्यों संबंधी मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) द्वारा दिनांक 31.3.2015 को आयोजित अपनी बैठक में उर्वरक (यूरिया) क्षेत्र के लिए गैस की पूलिंग हेतु अनुमोदन के अनुसरण में, भारत सरकार, उर्वरक (यूरिया) क्षेत्र में गैस की पूलिंग के लिए दिशा-निर्देशों को निम्नानुसार अधिसूचित करती है:

1. यूरिया के उत्पादन के उद्देश्य के लिए सभी प्राकृतिक गैस ग्रिड से जुड़ी युरिया उत्पादन संयंत्रों को एक-समान वितरण मूल्य पर प्राकृतिक गैस उपलब्ध कराने के लिए घरेलू गैस को पुनः गैसीकृत तरलीकृत प्राकृतिक गैस (आर-एलएनजी) के साथ पूल किया जाएगा। मैसर्स ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लिमिटेड के यूरिया संयंत्र को तकनीकी कारणों से पूलिंग तंत्र के बाहर रखा जाएगा। यह पूलिंग तंत्र 1 जुलाई 2015 से प्रभावी होगा।

2. पूलिंग निम्नलिखित दो चरणों में की जाएगी:

   क) चरण 1 (2015-16 से 2017-18): रूपांतरण इकाइयों सहित मौजूदा इकाइयों के लिए गैस की पूलिंग, जिन्हें गैस की आपूर्ति पाइपलाइन कनेक्टिविटी की स्थापना होने पर की जाएगी।

   ख) चरण II (2018-19 के बाद): मौजूदा इकाइयों (रूपांतरण इकाइयों सहित) और प्रस्तावित ब्राउनफ़ील्ड / ग्रीनफील्ड इकाइयों की आवश्यकता पर विचार करते हुए गैस की पूलिंग।

3. पूलिंग की निगरानी के लिए एक अधिकार-प्राप्त पूल प्रबंधन समिति (ईपीएमसी) का निम्नानुसार गठन किया गया है:

i.	अपर सचिव, एमओपीएनजी	- अध्यक्ष
ii.	संयुक्त सचिव (जीपी), एमओपीएनजी	- संयोजक सदस्य
iii.	संयुक्त सचिव, उर्वरक विभाग	- सदस्य
iv.	संयुक्त सचिव, व्यय विभाग	- सदस्य
v.	महानिदेशक, पीपीएसी	- सदस्य
vi.	कार्यकारी निदेशक, एफआईसीसी	- सदस्य
vii.	निदेशक (विपणन), गेल	- सदस्य

4. ईपीएमसी में निम्नलिखित जिम्मेदारियां होंगी:

i. गैस पूल तंत्र के तहत संयंत्र-वार गैस की आपूर्ति को मंजूरी देना।
ii. तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) खरीद व्यवस्था को मध्यम अवधि / स्पॉट एलएनजी के माध्यम से पूलिंग उद्देश्य की आवश्यकता के अनुसार अनुमोदन देना।
iii. पूल के लिए घरेलू गैस के इष्टतम उपयोग की निगरानी करना और गेल / प्राधिकृत एजेंसी द्वारा पारदर्शी ढंग से प्रतिस्पर्धी कीमतों पर एलएनजी प्राप्त करने के प्रयासों की निगरानी करना।
iv. एफआईसीसी उर्वरक संयंत्र की ओर से उसके द्वारा पूल निधि खाते (पीएफए) को किए गए भुगतान पर लिए जाने वाले प्रभार पर ब्याज की दर का निर्णय करेगा यदि उर्वरक संयंत्र निर्धारित तारीख के भीतर डेबिट नोट के खिलाफ पीएफए को पूर्ण/ आंशिक राशि जमा करने में असफल रहता है।

5. इस पूलिंग के लिए गेल (इंडिया) लिमिटेड को पूल ऑपरेटर के रूप में नामित किया गया है।

6. एक पूल ऑपरेटर के रूप में गेल (इंडिया) लिमिटेड के निम्नलिखित कार्य होंगे:

i. वर्तमान अनुबंधों के अनुसार त्रैमासिक आधार पर उर्वरक इकाइयों को आपूर्ति की जाने वाली गैस की अनुमानित मात्रा के बारे में डेटा एकत्र करना।
ii. उर्वरक क्षेत्र की मांग को पूरा करने के लिए अपेक्षित आर-एलएनजी की अतिरिक्त मात्रा का निर्धारण करना और उसे ईपीएमसी को सूचित करना।
iii. ईपीएमसी द्वारा निर्धारित अनुसार मौजूदा अनुबंधों और अतिरिक्त मात्रा में आर-एलएनजी के अनुरूप प्रत्याशित आपूर्ति के आधार पर गैस की संयंत्र-वार और एकसमान भारित औसत सुपुर्दगी लागत का निर्धारण करना।
iv. एफआईसीसी द्वारा पूल ऑपरेटर को दी गई सूचना के आधार पर वास्तविक संयंत्र-वार दी गई भारित औसत लागत का निर्धारण करना।

v. अपेक्षित आर-एलएनजी की अतिरिक्त मात्रा प्राप्त करने के लिए ईपीएमसी द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार निविदा प्रक्रिया प्रारंभ करना।

vi. यह सुनिश्चित करना कि वाणिज्यिक हितों के लिए घरेलू गैस की मात्रा को पूल में न डाला जाए।

vii. प्रत्येक माह की पहली तारीख को माह के लिए उर्वरक (यूरिया) क्षेत्र हेतु गैस का एकसमान सुपुर्दगी पूल मूल्य घोषित करना।

viii. पूल निधि खाता (पीएफए) बनाए रखना।

7. पूल संचालन तंत्र:

i. उर्वरक विभाग तिमाही की शुरुआत से 45 दिन पहले तिमाही आधार पर यूरिया उत्पादन के लिए संयंत्र-वार गैस की आवश्यकता को निर्धारित करेगा, (उदाहरण के लिए उर्वरक विभाग जुलाई से सितंबर, 2015 तक की तिमाही आवश्यकता को 17 मई, 2015 तक पूल ऑपरेटर को प्रस्तुत करेगा) और यूरिया क्षेत्र के लिए प्राकृतिक गैस की कुल आवश्यकता प्राप्त करेगा, तत्पश्चात् इसकी सूचना पूल ऑपरेटर को दी जाएगी।

ii. पूल ऑपरेटर प्रत्येक आपूर्तिकर्ता द्वारा पूलिंग में भाग लेने वाले व्यक्तिगत संयंत्र को आपूर्ति की जाने वाली त्रैमासिक अनुमानित मात्रा, घरेलू गैस का अनुमानित मूल्य तथा आरएलएनजी की अनुबंधित अवधि प्राप्त करेगा। प्रत्येक आपूर्तिकर्ता को तिमाही की शुरुआत से 45 दिन पहले पूल ऑपरेटर को आंकड़े प्रस्तुत करने होंगे, (उदाहरण के लिए आपूर्तिकर्ता जुलाई से सितंबर, 2015 तक की तिमाही के लिए आपूर्ति की जाने वाली गैस की मात्रा और मूल्य को 17 मई, 2015 तक संयंत्र-वार पूल ऑपरेटर को प्रस्तुत करेगा)।

iii. विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त कुल प्रत्याशित गैस उपलब्धता और उर्वरक विभाग द्वारा प्रस्तुत उर्वरक क्षेत्र की अनुमानित आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, पूल ऑपरेटर अनुमानित मांग और अनुमानित गैस की उपलब्धता के बीच के अंतर को कम करने के लिए अपेक्षित एलएनजी की मात्रा निर्धारित करेगा।

iv. पूल ऑपरेटर द्वारा एलएनजी की ऐसी अतिरिक्त मात्रा की आवश्यकता को ईपीएमसी को तिमाही के शुरू होने से 43 दिन पहले सूचित किया जाएगा (उदाहरण के लिए, पूल ऑपरेटर जुलाई से सितंबर, 2015 तक की तिमाही के लिए उर्वरक संयंत्रों द्वारा अतिरिक्त एलएनजी की आवश्यकता को ईपीएमसी को 19 मई 2015 तक प्रस्तुत करेगा) ।

v. ईपीएमसी पूल ऑपरेटर को तिमाही के शुरू होने से 40 दिन पहले तिमाही के दौरान आपूर्ति की जाने वाली एलएनजी की संयंत्र-वार अतिरिक्त मात्रा की सूचना देगा और पूल ऑपरेटर द्वारा यह प्रक्रिया एलएनजी प्राप्त करने के लिए शुरू की जाएगी (उदाहरण के लिए, ईएमपीसी आपूर्ति की जाने वाली पूल ऑपरेटर संयंत्र-वार अतिरिक्त एलएनजी की सूचना देगा और इसे जुलाई से सितंबर, 2015 तक की तिमाही के लिए 22 मई, 2015 तक प्राप्त किया जाएगा)।

vi. ईपीएमसी के अनुमोदन के आधार पर, एलएनजी खरीद व्यवस्था, जो कि एलएनजी को मध्यम अवधि / स्पॉट एलएनजी के माध्यम से अतिरिक्त मात्रा प्राप्त करने के लिए आवश्यक है, पूल ऑपरेटर द्वारा प्रारंभकी जाएगी। ईएमपीसी द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार, एलएनजी की अतिरिक्त मात्रा की आपूर्ति के लिए अलग-अलग उर्वरक संयंत्रों और संबंधित आपूर्तिकर्ता के बीच आवश्यक वाणिज्यिक समझौता तिमाही के शुरू होने से पहले किया जाएगा।

vii. प्रत्येक माह की पहली तारीख को पूल ऑपरेटर एक-समान सुपुर्दगी पूल मूल्य की घोषणा करेगा (उदाहरण के लिए पूल ऑपरेटर द्वारा जुलाई, 2015 का पूल मूल्य 1 जुलाई को घोषित किया जाएगा)। एक-समान सुपुर्दगी पूल मूल्य निर्धारित करने के लिए, पूल ऑपरेटर सबसे पहले व्यक्तिगत यूरिया संयंत्रों का संयंत्र-वार भारित औसत सुपुर्दगी मूल्य निर्धारित करेगा। ईपीएमसी के निर्णय के अनुसार, माह के दौरान पूल ऑपरेटर द्वारा आपूर्ति की जाने वाली घरेलू गैस और आर-एलएनजी की अपेक्षित मात्रा के व्यक्तिगत इकाई-वार सुपुर्दगी मूल्य पर विचार करते हुए संयंत्र-वार भारित औसत मूल्य निर्धारित किया जाएगा। पूल ऑपरेटर हाल के चालान के अनुसार लागू करों पर विचार करेगा और सुपुर्दगी मूल्य का हिसाब लगाते हुए विभिन्न गैसों की भावी कीमतों का अनुमान लगाएगा (इस उद्देश्य के लिए पूल ऑपरेटर द्वारा गैस की कीमतों का अनुमान व्यक्तिगत आपूर्तिकर्ता के अनुमान के आधार पर लगाया जाएगा)। इसके बाद, पूल में भाग लेने वाले उर्वरक संयंत्रों के भारित औसत एक-समान सुपुर्दगी मूल्य की गणना पूलिंग में भाग लेने वाली सभी इकाइयों की भारित औसत सुपुर्दगी मूल्य पर की जाएगी। संयंत्र-वार और एक-समान सुपुर्दगी पूल मूल्य का निर्धारण करने का नमूना अनुलग्नक-। पर दिया गया है।

viii. मौजूदा आपूर्तिकर्ताओं, अपने मौजूदा अनुबंध के अनुसार, अपने संबंधित उर्वरक (यूरिया) ग्राहकों को चालान देना जारी रखेंगे। यह प्रक्रिया आपूर्ति की जाने वाली नई / अतिरिक्त गैस के लिए भी जारी रहेगी। प्रत्येक उर्वरक यूनिट प्राप्त प्रत्येक चालान के अनुसार अपने संबंधित आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान करेगी।

ix. एक माह के पूरा होने के बाद, अगले माह के अधिकतम एक सप्ताह के अंदर

एफआईसीसी पूल ऑपरेटर को पिछले माह के आधार पर संयंत्र को आपूर्ति की जाने वाली विभिन्न प्रकार की गैस के लिए संयंत्र-वार वास्तविक बिलिंग की सूचना देगी, जो विभिन्न गैस आपूर्तिकर्ताओं द्वारा उक्त अवधि के दौरान प्रस्तुत वास्तविक चालान पर आधारित होगा (उदाहरण के लिए एफआईसीसी पूल ऑपरेटर को अगस्त, 2015 के अधिकतम पहले सप्ताह तक विभिन्न गैस आपूर्तिकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत वास्तविक चालान पर आधारित जुलाई, 2015 के माह के दौरान विभिन्न गैस की संयंत्र-वार वास्तविक बिलिंग की सूचना देगा)।

x. उपरोक्त सूचना के आधार पर, पूल ऑपरेटर, अगले महीने की अधिकतम 10 तारीख तक के दौरान गैस के वास्तविक भारित औसत सुपुर्दगी मूल्य का निर्धारण करेगा (उदाहरण के लिए, पूल ऑपरेटर को अधिकतम 10 अगस्त, 2015 तक जुलाई, 2015 माह के लिए गैस की संयंत्र-वार वास्तविक भारित औसत का निर्धारण करना चाहिए)।

xi. ऐसा हो सकता है कि किसी माह के लिए किसी उर्वरक संयंत्र की वास्तविक भारित औसत सुपुर्दगी लागत उस महीने के लिए घोषित एकसमान सुपुर्दगी पूल मूल्य से कम या अधिक हो। इसलिए यह निर्णय लिया गया है कि पूल ऑपरेटर एक अलग पूल फंड खाता (पीएफए) बनाएगा और निर्धारित वास्तविक भारित औसत सुपुर्दगी कीमत और पूल ऑपरेटर द्वारा घोषित एकसमान सुपुर्दगी पूल मूल्य के बीच के अंतर को व्यक्तिगत यूरिया इकाई द्वारा या तो पीएफए को भुगतान किया जाएगा अथवा पूल ऑपरेटर द्वारा पीएफए से इसकी प्रतिपूर्ति की जाएगी।

xii. एक माह के पूरा होने के बाद, पूल ऑपरेटर अगले माह की अधिकतम 15 तारीख तक डेबिट नोट तैयार करेगा (यदि पूल ऑपरेटर द्वारा घोषित जमा किए गए वर्दी द्वारा खरीदा गया मूल्य वास्तव में भारित औसतन पौधे की गैस की औसत कीमत से अधिक है) और क्रेडिट नोट (यदि पूल ऑपरेटर द्वारा घोषित एकसमान डिलीवर किया गया पूल मूल्य, यूरिया संयंत्र के गैस की वास्तविक भारित औसत सुपुर्दगी कीमत से कम हो) माह के दौरान व्यक्तिगत यूनिया संयंत्र को आपूर्ति की गई गैस की पूरी मात्रा के लिए घोषित एकसमान सुपुर्दगी पूल मूल्य और वास्तविक भारित सुपुर्दगी मूल्य के बीच के अंतर के बराबर होगा। पोर्ट ऑपरेटर द्वारा इस डेबिट या क्रेडिट नोट को व्यक्तिगत यूरिया संयंत्र और एफआईसीसी को अगले माह की 16 तारीख तक अग्रेषित किया जाएगा (उदाहरण के लिए, पूल ऑपरेटर जुलाई, 2015 माह के दौरान आपूर्ति की गई गैस की मात्रा पर एकसमान सुपुर्दगी पूल मूल्य और वास्तविक भारित औसत सुपुर्दगी मूल्य कीमत में अंतर का एक डेबिट / क्रेडिट नोट तैयार करेगा और उसे 16 अगस्त, 2015 तक व्यक्तिगत उर्वरक संयंत्र और एफआईसीसी को भेजेगा।

xiii. ऐसे डेबिट नोट की प्राप्ति की तारीख से चार कार्य दिवसों के भीतर, उर्वरक इकाई द्वारा पीएफए को डेबिट नोट में उल्लिखित राशि का पूरा भुगतान किया जाएगा। यदि उर्वरक इकाई पीईए को डेबिट नोट में दर्शाई गई पूर्ण/ आंशिक राशि जमा करने में असफल रहता है तो एफआईसीसी संयंत्र के अनंतिम मासिक सब्सिडी दावे से उस राशि की कटौती करके उचित तारीख से एक सप्ताह के अंदर उसे पीएफए में जमा करेगा। इसके अलावा, एफआईसीसी ईपीएमसी द्वारा निर्धारित अनुसार ब्याज दर लेगा, जोकि भुगतान के देय होने की तारीख से उर्वरक संयंत्र की ओर से पीएफए को भुगतान की गई राशि पर देय होगा।

xiv. पूल ऑपरेटर अगले माह की 23 तारीख तक पीएफए से व्यक्तिगत उर्वरक संयंत्रों को उनके क्रेडिट नोट पर भुगतान जारी करेगा, जो पीएफए में एकत्र की गई राशि के अनुपात में होगा और इस राशि को उनके क्रेडिट नोट पर पीएफए से व्यक्तिगत संयंत्र को भुगतान किया जाएगा।

xv. पूल मूल्य का समायोजन दोनों चरणों में यूरिया के उत्पादन के लिए गैस की आवश्यकता के आधार पर घरेलू गैस / आरएलएनजी (वृद्धिशील घरेलू / आरएलएनजी सहित) की हिस्सेदारी पर विचार करते हुए मासिक आधार पर किया जाएगा।

xvi. यदि पूल ऑपरेशन समाप्त हो जाता है, तो पीएफए (घनात्मक या नकारात्मक) में बकाया का एफआईसीसी द्वारा भुगतान किया जाएगा या भुगतान दिया जाएगा। इसके अलावा, जब कभी मौजूदा इकाइयों की आवश्यकता नई सुविधाओं की कार्यक्षमता या उनके चालू होने के कारण बढ़ जाती है, तो पूल नए स्रोतों के माध्यम से पूल मात्रा को बढ़ाकर उसे समायोजित करेगा।

xvii. एफआईसीसी उर्वरक इकाइयों द्वारा केवल वांछित उपयोग के लिए (यूरिया के उत्पादन हेतु) पूल गैस के उपयोग की निगरानी करेगा।

हस्ता./-
(एस.पी. अग्रवाल)
अवर सचिव, भारत सरकार

अनुलग्नक-।

भारित औसत मूल्य निकालने की प्रणाली को नीचे दर्शाया गया है:

यूनिट U1 के लिए

V1 और V2 = ईपीएमसी द्वारा निर्धारित घरेलू गैस और आरएलएनएल की अनुमानित मात्रा।

P1 और P2 = घरेलू गैस और आरएलएनजी का क्रमशः अनुमानित मूल्य।

यूनिट U2 के लिए

V3 और V4 = ईपीएमसी द्वारा निर्धारित घरेलू गैस और आरएलएनएल की अनुमानित मात्रा।

P3 और P4 = घरेलू गैस और आरएलएनजी का क्रमशः अनुमानित मूल्य।

यूनिट U3 के लिए

V5 और V6 = ईपीएमसी द्वारा निर्धारित घरेलू गैस और आरएलएनएल की अनुमानित मात्रा।

P5 और P6 = क्रमशः घरेलू गैस और आरएलएनजी का क्रमशः अनुमानित मूल्य।

चरण 1: यूनिट-वार भारित औसत मूल्य का व्युत्पन्न

यूनिट U1 (WAP1) के लिए भारित औसत मूल्य का व्युत्पन्न

$$WAP1 = \frac{P1xV1+P2xV2}{(V1+V2)}$$

यूनिट U2 (WAP2**) के लिए भारित औसत मूल्य का व्युत्पन्न**

$$WAP2 = \frac{P3xV3+P4xV4}{(V3+V4)}$$

यूनिट U3 (WAP3) के लिए भारित औसत मूल्य का व्युत्पन्न

$$WAP3 - \frac{P5xV5+P6xV6}{(V5+V6)}$$

चरण 2: सभी इकाइयों अर्थात् उर्वरक क्षेत्र (WAP) / के लिए एकसमान सुपुर्दगी पूल मूल्य / भारित औसत मूल्य का व्युत्पन्न

$$WAP = \frac{WAP1x(V1+V2) + WAP2x(V3+V4) + WAP3x(V5+V6)}{(V1+V2+V3+V4+V5+V6)}$$